आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

स्टाम्प अपील वाद संख्या–104/2022

रामसुन्दर राय

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	**आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।**
08.05.2023	प्रस्तुत अपीलवाद सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या 112/2021–22 में दिनांक 24.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता इस वाद के विगत तिथि दिनांक–02.03.2023 एवं आज दिनांक–08.05.2023 को भी अनुपस्थित है। साथ ही वाद अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता निम्न न्यायालय के जिस आदेश से असंतुष्ट है उसकी प्रति भी दाखिल नहीं किया है। जो स्पष्ट रुप से अपीलकर्ता के इस वाद में अरुचि को परिलक्षित करता है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 A (4) के अंतर्गत अपील वाद दायर करने के पूर्व कमी मुद्रांक की राशि का 50% जमा करना बाध्यकारी है परन्तु अपीलकर्ता ने अपील दायर करने के पूर्व कमी मुद्रांक की राशि	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	का 50% जमा नही किया है साथ ही निम्न न्यायालय का कोई आदेश भी वाद अभिलेख में नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। साथ ही उनके (अपीलकर्ता) द्वारा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अभ्यावेदन भी दिया गया है। उपर्युक्त के आलोक में अपीलकर्ता के इस वाद में लगातार अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत वाद को ***Dismissed For Default*** किया जाता है। ***आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।*** **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL